तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9-4-25	**राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 176/2024 (2024/469) अनवान कविता उर्फ माडु बनाम राज्य सरकार जरिये तहसीलदार झंवर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम** पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम लूणावास खारा के खसरा नम्बर 1027, 1042 में सह खातेदारी कृषि भूमि में माडु पुत्री मांगीलाल के स्थान पर कविता पुत्री मांगीलाल नाम का शुद्विकरण करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीदार झंवर को तहरीर जारी कर जांच रिपोर्ट ली गई। जिसके अनुसार किसी प्रकार की स्पष्ट रिपोर्ट मय जवाब अनुशंषा के साथ प्रस्तुत नहीं की गई। इस रिपोर्ट के सलंग्न हल्का पटवारी लूणावास खारा की मौका रिपोर्ट दिनांक 25.02.2024 में अकंन किया कि माडु का सभी दस्तावेजों में नाम कविता है। माडु नाम से कोई दस्तावेज नहीं है। उपस्थित मौतबिरान तथा प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व दस्तावेजों के अनुसार मांगीलाल की पांच पुत्रियां होना बताया है। जिसमें कविता एवं माडु उर्फ कविता भी होना बताया। बहस सूनी गई। पत्रावली का अवलोकन एवं तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट से यह साबित नही होता है कि माडु और कविता एक ही महिला के नाम है या दो अलग–अलग महिला के है। प्रार्थीनी द्वारा भी ऐसा कोई ठोस सबूत/दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया कि जिसमें यह पृष्टि होती हो कि प्रार्थीनी का सही नाम माडु नही होकर कविता है। अतः इन तमाम परिस्थितियों में प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी	